

आयातति कॉस्मेटिक के लयि DCGI के नए मानक

स्रोत: लाइव मटि

हाल ही में भारत में आयातति कॉस्मेटिक (सौंदर्य प्रसाधन) की गुणवत्ता, सुरक्षा और वनियामक में सुधार के लयि भारतीय औषधि महानयित्ुरक (DCGI) द्वारा नए मानक नरिधारति कयि गए हैं।

- भारत में कॉस्मेटिक बाज़ार का मूल्य वर्ष 2023 में 8.1 बलियन अमेरिकी डॉलर था, वर्ष 2032 तक 18.4 बलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

दशा-नरिदेश:

- कॉस्मेटिक/सौंदर्य प्रसाधनों का आयात केवल तभी कयि जा सकता है जब उनकी समाप्त तिथि आयात की तारीख से कम-से-कम छह महीने बाद हो।
- नयामक ने नवंबर 2014 के बाद हेक्साक्लोरोफेन युक्त सौंदर्य प्रसाधनों और जानवरों पर परीक्षण कयि गए सौंदर्य प्रसाधनों के आयात पर भी प्रतबिध लगा दयि है।
 - हेक्साक्लोरोफेन, एक सामयकि जीवाणुरोधी क्लीजर है जसिका उपयोग सर्जरी से पहले त्वचा को साफ करने और संक्रमण को रोकने के लयि कयि जाता था, लेकनि सुरक्षा संबंधी चतिओं के कारण इसे सौंदर्य प्रसाधनों में प्रतबिधति कर दयि गया है।
- मूल देश में प्रतबिधति कसि भी सौंदर्य प्रसाधन के आयात की अनुमत किेवल वशिषिट प्रयोजनों (जैसे, परीक्षण, वशि्लेषण) के लयि ही दी जा सकती है।
 - कॉस्मेटिक रूलस, 2020 में कहा गया है ककिसि भी कॉस्मेटिक उपयोगकर्त्ता को कोई गलत या भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहयि।
- नए कॉस्मेटिक उत्पादों के आयातकों को सुरक्षा और प्रभावकारति के प्रमाण के साथ केंद्रीय लाइसेंसगि प्राधकिरण से अनुमोदन लेना आवश्यक है।
- DCGI: DCGI केंद्रीय औषधि मानक नयित्ुरण संगठन (CDSCO) का प्रमुख है, जो पूरे देश में गुणवत्तापूरण दवाओं की आपूरत सिुनशिचति करने के लयि ज़मिेदार है।

और पढ़ें: [भारत का फारमास्युटिकल उदयुग](#)